पत्रांक 1प्रा0आ0–20/2015 ..../आ0प्र0

अत्यावश्यक

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ श्रम संसाधन विभाग/ परिवहन विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ शिक्षा विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना
निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

पटना–15, दिनांक–

विषयः **भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान में राज्य के विभिन्न हिस्सों से भीषण गर्मी पड़ने एवं लू (Heat waves) चलने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा भी अप्रैल माह से जून 2017 तक राज्य में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जतायी गयी है। अवगत हैं कि भीषण गर्मी के कारण जन–जीवन प्रभावित होता है एवं आम जनता को स्वास्थ्य एवं पेय जल संबंधी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास कर छोटे बच्चों, स्कूली बच्चो, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं काम के लिए घर से बाहर निकलने को बाध्य दिहाड़ी मजदूरों को काफी समस्याएँ आती हैं। साथ ही पेय जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। पानी की भी कमी हो जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के विभागों के द्वारा आम जनों को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु कारगर उपाय एवं कार्रवाई की जाय।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थानीय इकाई से लू की पूर्व चेतावनी एवं इसकी सूचना प्राप्त कर सभी प्रमुख Stakeholder तक पहुँचाने की व्यवस्था आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी। साथ ही लू की पूर्व चेतावनी आम जनता को भी TV, रेडियो, प्रिंट मिडिया, प्रेस विज्ञप्ति एवं Bulk SMS आदि के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाएगी।

अतएव भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु विभिन्न विभागों के स्तर से निम्न कारवाईयाँ अपेक्षित हैं :

1. नगर विकास एवं आवास विभाग

i. शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक जगहों पर स्थानीय निकायों द्वारा पियाऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन स्थानों पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित सूचनाओं को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि आम जन इनसे भली भाँति अवगत हो सकें।

ii. अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत खराब चापाकलों को मरम्मत युद्ध स्तर पर करायी जानी चाहिए।

iii. नगरीय क्षेत्र में अवस्थित आश्रय स्थलों में पेय जल तथा आकस्मिक दवाओं की व्यवस्था स्लम के निवासियों हेतु की जानी चाहिए।

2. स्वास्थ्य विभाग

i. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ रेफरल अस्पतालों/ सदर अस्पतालों/ अनुमंडलीय अस्पतालों/ मेडिकल कॉलेजों/ अस्पतालों में लू से प्रभावितों के ईलाज हेतु विशेष व्यवस्था कर ली जाए। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 पैकेट, आई0 भी0 फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवा इत्यादि की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए।

ii. अत्यधिक गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को ईलाज हेतु आवश्यकतानुसार अस्पतालों में आईसोलेसन वार्ड की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए एवं लू से पीड़ित बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बिमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार प्रभावित जगह हेतु स्टैटिक/ चलन्त चिकित्सा दल की भी व्यवस्था कर ली जाए।

iii. गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री, स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/ पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

i. खराब चापाकलों को मरम्मत युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।

ii. जिन स्थानों पर नल का जल नहीं पहुँचता हो एवं चापाकलों में पानी की कमी हो गयी हो, वहाँ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट से निबटने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रकिया के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।

iii. भूगर्भ जल स्तर की लगातार समीक्षा की जाए एवं इस पर सतत् निगरानी रखी जानी चाहिए।

4. शिक्षा विभाग

i. स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय या तो सुबह की पाली में ही संचालित हों अथवा गर्मी की छुटियाँ निर्धारित समय से पूर्व घोषित कर दी जाँय। गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए भी बन्द किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा कर निर्णय लिया जाना चाहिए।

ii. सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

iii. गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री, स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/ पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

5. समाज कल्याण विभाग

i. सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था करायी जानी चाहिए एवं वहाँ पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित IEC (बच्चों को समझने हेतु) सामग्री प्रदर्शित कर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए।

ii. स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जीवन रक्षक घोल (ORS) की व्यवस्था करनी चाहिए।

iii. नवजात शिशु, बच्चों, धातृ एवं गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

i. सरकारी ट्यूबवेल के समीप अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थानों पर गड्ढा खुदवा कर पानी इक्कठ्ठा किया जाए, ताकि पशु–पक्षियों को पानी मिल सके।

ii. पशुओं के बिमार पड़ने पर चिकित्सा दल की व्यवस्था की जायेगी।

7. ग्रामीण विकास विभाग

i. मनरेगा अन्तर्गत तालाबों/ आहर इत्यादि की खुदाई की योजनाओं में तेजी लायी जाए, जिससे इनमें पानी इक्कठ्ठा कर पशु–पक्षियों को पानी उपलब्ध कराया जा सके।

ii. लू चलने पर मनरेगा की कार्य अवधि को सुवह 6.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा अपराह्न 3.30 बजे से 6.30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।

iii. कार्य स्थल पर पेय जल तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. पंचायती राज विभाग

i. विभाग के द्वारा पंचायतों में लू चलने के दौरान "क्या करें क्या न करें" का प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए।

ii. गांवों में पेय जल की व्यवस्था हेतु पंचायतों को कार्य योजना बनाने हेतु निदेशित किया जा सकता है तथा जल संरक्षण की योजनाओं पर कार्य किया जा सकता है।

9. श्रम संसाधन विभाग

i. लू से बचाव हेतु मजदूरों के कार्य अवधि को लचीला किया जा सकता है। लू चलने पर कार्य अवधि को सुवह 6.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा अपराह्न 3.30 बजे से 6.30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।

ii. कार्य स्थल पर पेय जल की व्यवस्था तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iii. खुले में काम करने वाले, भवन बनाने वाले तथा कल–कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेय जल की व्यवस्था के साथ शेड की भी व्यवस्था करना चाहिए।

10. परिवहन विभाग

i. लू चलने की अवधि में जहाँ तक संभव हो वाहनों का परिचालन कम से कम करना चाहिए तथा पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों के परिचालन को नियंत्रित किया जा सकता है।

ii. सार्वजनिक परिवहन के गाड़ियों में पेय जल तथा ओ0आर0एस0 की व्यवस्था करने हेतु विभाग के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किया जा सकता है।

11. ऊर्जा विभाग

i. प्रायः बिजली के तारों के ढीला रहने के कारण वे हवा चलने पर आपस में टकराते रहते हैं, जिससे चिनगारी निकलने की संभावना रहती है। इन

चिनगारियाँ के कारण भी आगलगी की घटनाएँ होती है। अतएव बिजली के ढीले तारों को भी ठीक करवाने की व्यवस्था कर ली जाए।

ii. निर्बाध बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।

12. वन एवं पर्यावरण विभाग

i. गर्मियों के दिनों में लू चलने से वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। अतः वन्य जीव उद्यानों तथा अभ्यारण्यों में पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ii. वन्य जीव उद्यानों में जानवारों के पिंजड़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iii. अभ्यारण्यों में गड्ढ़े खोदकर वन्य जीवों के लिए जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

13. राज्य अग्निशमन निदेशालय

भीषण गर्मी के कारण आग लगी की घटनाओं में भी वृद्धि हो जाती है। आग लगी की घटनाओं से निबटने एवं उनके रोकथाम के लिए एतद् विषयक विभागीय मानक संचालन प्रक्रियानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए।

14. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित विज्ञापन का प्रचार-प्रसार प्रिंट मिडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से कराया जाय। साथ ही गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित जिंगल को भी राज्य के एफ एम एवं आकाशवाणी के रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रचारित कराया जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में अपने विभाग के स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपिः उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन के आप्त सचिव/ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1194 /आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 29/04/2017

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4

प्रधान सचिव

D:\2017\Draft\Heat waves letter.docx